

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, (पॉक्सो-प्रथम) अम्बेडकरनगर

सरकार-----बनाम-----शिवेन्द्र सिंह उर्फ गोलू
विशेष सत्र परीक्षण संख्या-375/2021
मुकदमा अपराध संख्या-56/2018
धारा-392 भा.द.सं.
थाना-भीटी, जनपद- अम्बेडकरनगर।

आरोप

मैं सुशील कुमार-चतुर्थ, अपर सत्र न्यायाधीश, (पॉक्सो-प्रथम) अम्बेडकरनगर एतद्वारा आप बाल अपचारी शिवेन्द्र सिंह उर्फ गोलू को निम्नलिखित आरोपो से आरोपित करता हूं :-

1. यह कि दिनांक: 04-05-2018 को समय 03:15 बजे स्थान उमरावा मोड़, थाना-भीटी, जनपद-अम्बेडकरनगर में आप बाल अपचारी शिवेन्द्र सिंह उर्फ गोलू अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर वादी मुकदमा की माँ चन्द्रावती पाण्डेय के हाथ से अगूँठी, चैन, कान की झुमकी लूट लिया। इस प्रकार, आपने ऐसा अपराध किया, जो भा0द0सं0 की धारा-392 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्वारा आप बाल अपचारी शिवेन्द्र सिंह उर्फ गोलू को निर्देशित किया जाता है कि उक्त आरोपों पर आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांक:-14.10.2022

(सुशील कुमार-चतुर्थ)
अपर सत्र न्यायाधीश, (पॉक्सो-प्रथम)
अम्बेडकरनगर।

J.O. CODE-UP6480

आरोप बाल अपचारी को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। बाल अपचारी ने आरोप से इन्कार किया और विचारण चाहा।

दिनांक:-14.10.2022

(सुशील कुमार-चतुर्थ)
अपर सत्र न्यायाधीश, (पॉक्सो-प्रथम)
अम्बेडकरनगर।

J.O. CODE-UP6480